* परामर्श का उद्देश्य (objective of counselling) —:

(1) छात्रों से संबंधित उन सूचनाओं तथा तथ्यों का संग्रह करना जो उनकी समस्याओं के समाधान में सहायक हो सकती हैं।
(2) व्यक्ति को उसकी सफलता के महत्व से अवगत कराना।
(3) छात्र को अपनी समस्या के समाधान हेतु योजना बनाने में सहायता करना।
(4) छात्र तथा उसके शिक्षकों के मध्य पारस्परिक समझ की भावना विकसित करना।
(5) छात्रों को शैक्षिक लगाव के लिए प्रयास करने की प्रेरणा देना।
(6) छात्रों को शैक्षिक एवं व्यवसायिक-चयन की योजना बनाने में सहायता करना।
(7) छात्रों में सही दृष्टिकोण का विकास करना।

* परामर्श का क्षेत्र (scope of counselling) —:

→ छात्र संबंधी सूचनायें एकत्रित करना।
→ आरंभिक शिक्षा और विद्यालयों से संबंधित सूचनाओं का संग्रहण
→ परीक्षण की सुविधा
→ व्यवसाय और धंधों की सूचनाओं का संग्रह करना।
→ साक्षात्कार करना
→ समस्याओं के समाधान में सहायता करना।
→ वार्तालाप या संगोष्ठी का आयोजन करना।
→ अभिभावक तथा व्यवसायिक संगठनों से संपर्क

* परामर्श के सिद्धांत (Principles of counselling)

→ (1) परामर्श उपबोध्य के आत्मज्ञान व स्व-निर्देशन के लिए समर्पित होता है। (counselling is dedicated to client's self-realization and self-direction)

→ (2) परामर्श संरचित अधिगम स्थिति है। (counselling is a structured learning situation)

→ (3) पर्यावरण एवं स्वयं के मध्य संबंध को समझने की अन्तर्दृष्टि पैदा करना (Development of client's insight to understood the relationship between self and enviornment)

→ (4) परामर्श मूलतः प्रतिरोधात्मक प्रक्रिया है न कि उपचारात्मक (counselling is primarily a preventive process not a remedial)

→ (5) उपबोध्य की समस्या तथा योग्यतानुसार परामर्श विधियों में भिन्नता होनी चाहिए (counselling Methods should vary with need and ability of the client)

→ (6) परामर्श उपबोध्य के लिए अनिवार्य नहीं होना चाहिए (counselling should not be compulsory for the client)

(1) परामर्श उपबोध्य (client) के आत्मज्ञान व स्व-निर्देशन के लिए समर्पित होता है — परामर्श का प्रथम सिद्धांत है कि उपबोध्य को उसमें छिपी योग्यताओं और क्षमताओं का ज्ञान कराना ताकि वह स्वयं अपनी समस्याओं के समाधान हेतु निर्णय ले सके।

(2) <u>परामर्श संरचित अधिगम सिखाते हैं</u> — अधिगम ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है, लेकिन यह दो रूपों में पाया जाता है प्रथम, व्यक्ति वातावरण से स्वतंत्र रूप से सीखता है तथा उससे उत्पन्न समस्याओं का समाधान स्वयं करता है। दूसरा, अधिगम के लिए विद्यालय में शिक्षण द्वारा व्यवस्थित रूप से अध्ययन प्राप्त कर अपनी समस्या समाधान की योग्यता प्राप्त करता है।

(3) <u>पर्यावरण व स्वयं के मध्य संबंध को समझने की अंतर्दृष्टि पैदा करना</u> — चूंकि मानव एवं पर्यावरण का घनिष्ठ संबंध है। अतः परामर्श के द्वारा उपबोध्य को उसके तथा पर्यावरण के मध्य संबंध को समझने की अंतर्दृष्टि जाग्रत करने का प्रयास किया जाता है।

(4) <u>परामर्श मूलतः प्रतिरोधात्मक प्रक्रिया है न कि उपचारात्मक</u> — यद्यपि उपबोध्य परामर्शदाता के पास समस्या उत्पन्न होने पर समाधान हेतु जाता है। इस सिद्धांत के माध्यम से परामर्शदाता को परामर्श हेतु उपबोध्य में प्रतिरोधात्मक शक्ति का विकास करना चाहिए (अर्थात् उसे समस्या समाधान के योग्य) ताकि छात्र के समक्ष समस्या पैदा न हो सके।

(5) <u>उपबोध्य की समस्या तथा योग्यतानुसार परामर्श विधियों में भिन्नता होनी चाहिए</u> — परामर्शदाता द्वारा सदैव ध्यान रखना चाहिए कि सभी छात्रों की आवश्यकताएं एवं समस्याएं समान नहीं होती है अतः आवश्यकता के अनुसार अनुकूल विधियों का प्रयोग करना चाहिए।

(6) <u>परामर्श उपबोध्य के लिए अनिवार्य नहीं होना चाहिए</u> — परामर्श सभी छात्रों के लिए अनिवार्य न होकर स्वैच्छिक होना चाहिए। जो छात्र परामर्श की आवश्यकता अनुभव करते हैं वे परामर्शदाता से संपर्क स्थापित कर सकते हैं।

* निर्देशन एवं परामर्श में अंतर —

(Difference Between Guidance and Counselling)

निर्देशन या मार्गदर्शन	परामर्श
(i) इसका अर्थ होता है — मार्ग दिखाना या रास्ता बताना।	(i) इसका अर्थ है पूछताछ करना, सलाह लेना, या प्रत्यक्ष तौर पर तर्क-वितर्क करना।
(ii) निर्देशन का क्षेत्र व्यापक है।	(ii) परामर्श व्यक्तिगत रूप से सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया है।
(iii) निर्देशन का मुख्य उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को सामूहिक रूप से किसी भी समस्या समाधान हेतु योग्य बनाना	(iii) यह व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर समस्या समाधान की योग्यता प्रदान करता है।
(iv) निर्देशन किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रदान किया जा सकता है	(iv) परामर्श एक विशेषज्ञ परामर्शदाता के द्वारा ही किया जाता है।
(v) इसमें निर्देशन प्रदान करने वाला व्यक्ति पूर्व प्रशिक्षित नहीं होता है।	(v) इसमें व्यक्ति को पूर्व प्रशिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है।
(vi) निर्देशन वैयक्तिक एवं सामूहिक दोनों प्रकार का होता है।	(vi) परामर्श एक समय में केवल एक ही व्यक्ति के लिए उपलब्ध होता है।
(vii) निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति को आत्म-समाधान के योग्य बनाना।	(vii) इसका उद्देश्य व्यक्ति को समस्या समाधान के योग्य बनाता है।

इसप्रकार हम कह सकते हैं कि निर्देशन एवं परामर्श की प्रक्रिया एक-दूसरे के पूरक हैं अर्थात परामर्श, निर्देशन की एक प्रविधि है।

* विद्यार्थियों में ~~परामर्श~~ परामर्श के मुद्दे एवं समस्यायें :-
(Issues and problems of counselling in students)

- (i) स्वास्थ्य संबंधी परामर्श प्रदान करना
- (ii) मनोवैज्ञानिक रूप से पढ़ने हेतु प्रोत्साहित करना
- (iii) शिक्षण संस्थाओं के चयन में सहायता प्रदान करना
- (iv) अध्ययन विधियों एवं पाठ्यक्रम के चयन में सहायता प्रदान करना
- (v) व्यावसायिक चयन में सहायता प्रदान करना
- (vi) पाठ्यक्रम एवं रुचिपूर्ण विषयों के चयन हेतु
- (vii) विशिष्ट बालकों के समायोजन हेतु

* परामर्श के प्रकार (Type of counselling) -:

सामान्य और उपबोध्य की दृष्टि से परामर्श को निम्नलिखित प्रकारों में बाँटा गया है ——

- (i) सैद्धान्तिक परामर्श (clinical counselling)
- (ii) मनोवैज्ञानिक परामर्श (Psychological counselling)
- (iii) मनोचिकित्सकीय परामर्श (Psychotherapeutic counselling)
- (iv) छात्र परामर्श (students counselling)
- (v) नियोजन परामर्श (Placement counselling)
- (vi) वैवाहिक परामर्श (Marriage counselling)
- (vii) व्यावसायिक एवं जीविका परामर्श (vocational and career counselling)
- (viii) अन्य क्षेत्रों में दिया जाने वाला परामर्श इत्यादि।